अपील सूचना अधिकार संख्या 190/2016 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्र0) , श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

11.10.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. प्रार्थी का पत्रांक 6275 दिनांक 18.08.2016 आपके कार्यालय में पहुंचने की तिथि व पत्र प्राप्ति की दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र प्रति से इस पत्र का जवाब देने तक जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार द्वारा की गई उसकी सूचना। कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. श्री सांवरमल रेगर द्वारा (तहसीलदार द्वारा) एपीपी (सहायक लोक अभियोजक) से मुकदमे की पैरवी करवाने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन किया जिसमें सहायक लोक अभियोजन महोदय ने स्वीकृती प्रदान की इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. सहायक लोक अभियोजन द्वारा प्रकरण में जिस दिवस पैरवी करनी प्रांरभ की उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक द्वारा किये जाने के उपरांत भी तहसीलदार श्री सांवरमल रैगर द्वारा श्री प्रेम प्रकाश मक्कड को अधिवक्ता पैरवी करने हेतु जिस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है व जिस अधिकारी की अनुमति से नियुक्त किया गया है उसकी सूचना व नियम व अधिकारी की स्वीकृती के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. श्री सांवरमल रेगर द्वारा प्राईवेट वकील नियुक्त करने के नियम न होने पर भी नियुक्त किये जाने पर विधि की अवज्ञा के फलस्वरूप श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार के विरूद्ध जिस अधिनियम के विरूद्ध कार्यवाही नही की गयी है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. प्रकरण में श्री सांवरमल रेगर द्वारा सरसरी सबूत दिनांक 13.05.2016 को आधे ही न्यायालय में दर्ज करवाने के उपरांत संपूर्ण बयान दर्ज जिस दिवस करवाने हेतु जो–जो कार्यवाही की गयी, जिस–2 कर्मकार व अधिकारी व सहायक लोक अभियोजक, एसडीएम साहब श्रीगंगानगर व जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा की गयी, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. मिथ्या दस्तावेज श्री सांवरमल रेगर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनके विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने व मिथ्या दस्तावेज पेश करने के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही जिस नियम के अंतर्गत नही की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. प्रकरण विधानसभा चुनाव से संबधित होने के उपरांत श्री सावरमल रेगर द्वारा दस्तावेज लोकसभा चुनाव से सबंधित प्रस्तुत किये है जिससे उनके द्वारा अभियुक्त से मिलकर षडयंत्र करने की बू आती है, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
10. श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी श्रीगंगानगर को प्रकरण में सबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिंया, एसडीएम श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध कराये जाने व न कराये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
11. एसडीएम साहब दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रकरण से सबंधित उपलब्ध न करवाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त 11 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 3761 दिनांक 05.12.16 के द्वारा जानबूझकर सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत 25000रूपये हर्जाना कायम किया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध मुं लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या रीड्र/एडीएम/सर्त./2016/01 दिनांक 02.01.17 प्रस्तुत किया है कि आवेदक को पत्रांक 3761 दिनांक 05.12.2016 के द्वारा निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

क0सं	चाही गयी सूचना	उत्तर
1.	प्रार्थी का पत्रांक 6275 दिनांक 18.08.2016 आपके कार्यालय में पहुचंने की तिथि व पत्र प्राप्ति की दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	उक्त पत्र दिनांक 01.09.2016 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जो जरिये पत्रांक 2927–29 दिनांक 02.09.2016 द्वारा निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी श्रीगंगानगर को भिजवाया गया।
2.	पत्र प्रति से इस पत्र का जवाब देने तक जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार द्वारा की गई उसकी सूचना कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	उक्तानुसार।
3.	श्री सांवरमल रेगर द्वारा (तहसीलदार द्वारा) एपीपी (सहायक लोक अभियोजक) से मुकदमे की पैरवी करवाने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन किया जिसमें सहायक लोक अभियोजन महोदय ने स्वीकृती प्रदान की इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।
4.	सहायक लोक अभियोजन द्वारा प्रकरण में जिस दिवस पैरवी करनी प्रांरभ की उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।
5.	प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक द्वारा किये जाने के उपरांत भी तहसीलदार श्री सांवरमल रैगर द्वारा श्री प्रेम प्रकाश मक्कड को अधिवक्ता पैरवी करने हेतु जिस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है व जिस अधिकारी की अनुमति से नियुक्त किया गया है उसकी सूचना व नियम व अधिकारी की स्वीकृती के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।
6.	श्री सांवरमल रेगर द्वारा प्राईवेट वकील नियुक्त करने के नियम न होने पर भी नियुक्त किये जाने पर विधि की अवज्ञा के फलस्वरूप श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार के विरूद्ध जिस अधिनियम के विरूद्ध कार्यवाही नही की गयी है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।
7.	प्रकरण में श्री सांवरमल रेगर द्वारा सरसरी सबूत दिनांक 13.05.2016 को आधे ही न्यायालय में दर्ज करवाने के उपरांत संपूर्ण बयान दर्ज जिस दिवस करवाने हेतु जो–जो कार्यवाही की गयी, जिस–2 कर्मकार व अधिकारी व सहायक लोक अभियोजक, एसडीएम साहब श्रीगंगानगर व जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा की गयी, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।
8.	मिथ्या दस्तावेज श्री सांवरमल रेगर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनके विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने व मिथ्या दस्तावेज पेश करने के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही जिस नियम के अंतर्गत नही की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।
9.	प्रकरण विधानसभा चुनाव से संबधित होने के उपरांत श्री सावरमल रेगर द्वारा दस्तावेज लोकसभा चुनाव से सबंधित प्रस्तुत किये है जिससे उनके द्वारा अभियुक्त से मिलकर षडयंत्र करने की बू आती है, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।
10.	श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी श्रीगंगानगर को प्रकरण में सबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिंया, एसडीएम श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध कराये जाने व न कराये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।
11.	एसडीएम साहब दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रकरण से सबंधित उपलब्ध न करवाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय से संबधित नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ में से बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना का संबंध निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से होने के कारण उनके कार्यालय में दिनांक 2.09.16 से भिजवाना सूचित किया गया है। बिन्दु सं0 3 से 11 की सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से संबंधित नही है तथा अन्य विभाग से संबंधित होने के कारण संबंधित विभाग से ही सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को सूचित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सत0) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 05.12.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (सर्त0) श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1904-5
23-10-17

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर